संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्य प्रदेश

क्र.9 / नर्सिंग / सेल–3 / 14 / 839 भोपाल दिनांक 23 / 08 / 2014

प्रति

समस्त,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक /
अधीक्षक क्षय चिकित्सालय
मध्यप्रदेश।

विषय :– सी.एम.सी. वैल्लोर में 3 माह के (शार्ट टर्म कोर्सेस) प्रशिक्षण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सी.एम.सी. वैल्लोर में नर्सिंग संवर्ग की योग्यता बढाने हेतु सी.एम.सी. वैल्लोर में 3 माह वाले short-term programmes में जिले से चयनित स्टॉफ नर्सेस को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना है। प्रशिक्षण हेतु कोर्स निम्नानुसार है :–

क्र.	विशेषज्ञता	चिन्हित कार्य	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	इमरजेन्सी तथा ट्रामा केयर	ट्रायेज तथा रिसस्टीकेशन	8
2	क्रिटीकल केयर	लाईफ सर्पोट, उपकरणों का संचालन तथा संधारण	8
3	ऑकोलाजी	केंसर कीमोथेरेपी तथा पेलियेटिव केयर	8
4	नेफ्रोलॉजी	हीमोडायलेसिस तथा पेरीटोनियल डायलिसिस का क्रियान्वयन	8
5	आपरेशन रूम नर्सिंग	सामान्य शल्य क्रियाओं हेतु आपरेशन रूम की प्रक्रियाओं का प्रोटोकाल्स सहित संचालन	8
6	कोरोनरी केयर यूनिट	मेनेजमेंट आफ एक्यूट कोरोनरी सिन्ड्रोम, टेकीऐरथमिया तथा ब्लाक कार्यों में विशेषज्ञ के निर्देशों का प्रोटोकाल सहित पालन। कार्डियक रिससटीकेशनस (डिफेबिरिनेशन, कार्डियोवर्सन तथा पेसिंग)	8

<u>प्रशिक्षण हेतु योग्यता निम्नानुसार है :–</u>

1. शैक्षणिक योग्यता बी.एस.सी. नर्सिंग ।

2. शासकीय सेवाओं में दो वर्ष से अधिक का कार्यअनुभव।

3. आयु सीमा 40 वर्ष से कम (दिनांक 1.1.2015 की स्थिति में)

<u>चयन प्रकिया</u> :– जिलों से विशेषज्ञता विभाग में कार्य करने वाले स्टॉफ नर्स का नामांकन कर भेजें। संचालनालय में साक्षात्कार कर उक्त प्रशिक्षण हेतु चयन किया जावेगा। प्रत्येक जी.एन.एम. / ए.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्रो के 2 टीचिंग फेकल्टी के नाम भी चयनति कर भेजे। प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत 3वर्ष की नियमित शासकीय सेवा करने के लिये अनुबंधित रहेंगी। प्रशिक्षण के दौरान नियमित वेतन एवं पात्रता अनुसार टी.ए. देय होगा।

(डॉ. जे.एल. मिश्रा)
संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश